वी. रामास्वामी, सीजे, उजागर सिंह और जी.आर. मजीठिया, जे.जे. *के समक्ष*

भगवान दत्त शर्मा और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 551, 1986

12 मई 1988.

*भारत का संविधान,*1950—अनुच्छेद 226—सेवा में शिक्षक—उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले ऐसे शिक्षक—क्या उच्च वेतनमान के हकदार हैं—ऐसी पात्रता की तिथि—मास्टर के पद के विरुद्ध समायोजन—प्रासंगिकता।

आयोजित, कि जिन शिक्षकों ने बी.टी. या बी.एड. योग्यता प्राप्त करने के बाद वे उच्च वेतनमान के हकदार हो जाएंगे, भले ही उन्हें मास्टर्स के पद पर समायोजित किया गया हो। परास्नातक के पदों पर समायोजन केवल परास्नातक के पदों पर वरिष्ठता और उस पद से आगे की पदोन्नति के उद्देश्य से प्रासंगिक था। जहां तक वेतनमान का सवाल है, मास्टर के पद पर समायोजन के बावजूद, एक शिक्षक को हमेशा बी.टी. के अधिग्रहण की तारीख से उच्च वेतनमान का हकदार माना जाता था। या बी.एड योग्यता. रिट याचिकाकर्ता उच्च योग्यता प्राप्त करने की तिथि से मास्टर वेतन पाने के हकदार हैं।

(पैरा 1).

माननीय श्री न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल द्वारा मामले को बड़ी पीठ को भेजा गया था,—इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 मई 1986 के आदेश के अनुसार कि कानून के सामान्य प्रश्न और समान तथ्य सभी याचिकाओं में शामिल हैं और सीडब्ल्यूपी संख्या 7553/76 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय अनुरूप नहीं है। इसी तरह के एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ।

अनुच्छेद के तहत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाए: -

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) परमादेश की एक रिट जारी की जाए जिसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता को बी.टी./ बी. उत्तीर्ण करने की तिथि से मास्टर्स ग्रेड में उनकी वरिष्ठता और नियुक्ति प्रदान की जाए। ईडी। विषय संयोजन से संबंधित शर्तों की घोर उपेक्षा करते हुए परीक्षाएँ;

(iii) परमादेश की एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं को नियुक्ति की तारीख के

*आधार पर संशोधित वेतनमान में याचिकाकर्ताओं का वेतन तय करने और उन्हें वरिष्ठता के निर्धारण और ब्याज के साथ वेतन के बकाया के माध्यम से सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया जाए। मुआवज़े के रूप में, और किसी भी अन्य राहत के लिए जिसके वे निर्णय के बाद हकदार पाए जा सकते हैं*मामला;

(iv) यह माननीय न्यायालय कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे;

(v) परमादेश की एक रिट जारी की जाए जिसमें उत्तरदाताओं को मुआवजे के रूप में ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए जो ऊपर बताए अनुसार वेतन के गलत निर्धारण के कारण याचिकाकर्ताओं को प्राप्त हुई है।

*(vi) इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को रुपये के वेतनमान में वेतन निकालने के लिए अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।*600 की गणना कोठारी आयोग द्वारा अनुमोदित और राज्य सरकार द्वारा अनुलग्नक पी-6 द्वारा अपनाए गए वेतनमान के आधार पर की गई;

(vii) इस याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं के वकील एम. एम. कुमार और पवन कुमार।

उत्तरदाताओं की ओर से नौबत सिंह पवार, डीएजी (हरियाणा.)

आदेश

वी. रामास्वामी, सी.जे. (मौखिक)

(1) इस रिट याचिका को इस तथ्य के मद्देनजर पूर्ण पीठ द्वारा विचार के लिए भेजा गया है कि इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. 1976 का क्रमांक 7553 सुप्रीम कोर्ट के फैसले ***पंजाब राज्य और अन्य बनाम कृपाल सिंह भाटिया और अन्य***[1]के अनुरूप नहीं है

(1) में रिपोर्ट किए गए इसी तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:-

> "उच्च न्यायालय ने विभाग के सचिव के 24 सितंबर, 1957 के पत्र का सही हवाला दिया कि B.A./B.T./B.A./B.Ed. धारक शिक्षक। योग्यताएं, अब से श्रेणी 'ए' में रखी जाएंगी।
>
> उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि वेतनमान रु. 110-250 या तो उस तारीख से प्रभावी होगा जब शिक्षक 1 मई 1957 को बैचलर ऑफ टीचिंग या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, जो भी बाद में हो।

1976 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 7553 सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 1220/1978 सहित कई मामलों में से

[1] A.I.R. 1976 S.C. 2459= 1975(2)S.L.R. 621

एक है, जिसे इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया था। याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी. 1978 की संख्या 1220 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में इस न्यायालय का निर्णय लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ***चमन लाई और अन्य बनाम हरियाणा राज्य***[2]में बताया गया है। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को उलट दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जिन शिक्षकों ने बी.टी. प्राप्त की है। या बी.एड. योग्यता हासिल करते ही वे उच्च वेतनमान के हकदार हो जाएंगे, भले ही उन तारीखों की परवाह किए बिना जब उन्हें मास्टर्स के पदों के खिलाफ समायोजित किया गया था। परास्नातक के पदों पर समायोजन केवल परास्नातक के पदों पर वरिष्ठता के प्रयोजन और उस पद से पदोन्नति के आगे के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक था। जहां तक वेतनमान का सवाल है, मास्टर के पद पर समायोजन के बावजूद, एक शिक्षक को हमेशा बी.टी. के अधिग्रहण की तारीख से उच्च वेतनमान का हकदार माना जाता था। या बी.एड. योग्यता। "आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और प्रतिवादियों को बी.टी. प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को मास्टर्स के लिए स्वीकार्य उच्च ग्रेड देने का निर्देश दिया। या बी.एड. उस योग्यता को प्राप्त करने की संबंधित तिथियों से योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संदर्भ का उत्तर देना होगा और हम तदनुसार मानते हैं कि रिट याचिकाकर्ता योग्यता हासिल करने की तारीख से मास्टर वेतन के हकदार हैं।

(2)तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा

[2] A.I.R. 1987 S.C. 1621